"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी 2017—— पौष 14, शक 1938

राजस्व, आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-11/सात-1/पुनर्वास नीति/2013. — राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति-2007 की उप-कण्डिका-7.6 के पश्चात्, निम्नलिखित नवीन उप-कण्डिका अन्त:स्थापित करता है :-

"7.7. रेखीय परियोजना में भू-अर्जन से प्रभावित प्रत्येक खातेदार को भूमि के मुआवजा के अतिरिक्त, पुनर्वास अनुदान के रूप में इतनी राशि प्रदान किया जावे, जो भूमि के मुआवजा का 50 प्रतिशत के बराबर, जो अधिकतम 5.00 लाख रूपये तक हो सकेगी. यह प्रावधान दिनांक 01-01-2014 के पश्चात् पारित रेखीय परियोजनाओं के समस्त भू-अर्जन तथा पुनर्वास के मामलों में लागू होंगे."

No. F-7-11/Seven-1/Rehab Policy/2013. — The Government of Chhattisgarh, hereby, inserts new sub-para after sub-para 7.6 in Chhattisgarh Rajya ki Adarsh Punarvas Niti, 2007 :-

"7.7. In case of Land Acquisition for linear Projects the each affected land holders, amount shall be paid as rehabilitation grant in addition to amount of compensation, which shall be equal to 50% of the compensation amount subject to maximum limit of Rs. 5.00 Lakh. These provisions shall be effective for all the cases in which award has been passed on or after 01-01-2014."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.